

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)

विविध आदेश

क्रमांक १२३ / एक-११-१ / कार्य.वि.प. / २०१९

ग्वालियर, दिनांक : ०४ / ०९ / २०२३

प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों के अवकाश काल में आवश्यक कार्य प्रभार निम्नानुसार होगा। यह विविध आदेश दिनांक ०४/०९/२०२३ से प्रवृत्त होगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	अवकाशकाल में इच्छार्ज न्यायालय
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (पी.सी.एक्ट के विशेष प्रकरणों को छोड़कर)
4	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (डकैती के विशेष प्रकरणों को छोड़कर)
5	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
6	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
7	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (डकैती के विशेष प्रकरणों को छोड़कर)
8	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (ओ.ए.डब्ल्यू. से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
9	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
10	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
11	नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
12	दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	द्वादशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर

65	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा
66	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा
67	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा
68	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार
69	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार

नोट :-


1. तहसील डबरा स्थित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी के अवकाश काल अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित आवश्यक कार्य का प्रभार तहसील डबरा स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा को रहेगा, इसी प्रकार भितरवार स्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी यदि एक साथ अवकाश पर रहते हैं तो आवश्यक प्रकृति का कार्य डबरा स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किया जावेगा।
2. माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिसूचना क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। इसी प्रकार माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क. सी/2262/तीन-6-3/89 दिनांक 14.09.2020 विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित उक्त न्यायालय के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार अधिनियम, ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित उक्त न्यायालय के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर द्वारा संपादित

किये जायेंगे, उनके अवकाश पर रहने पर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के द्वारा संपादित किये जायेंगे।

3. भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय क्रमांक 01 (दशम् अपर सत्र न्यायाधीश) एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय क्रमांक 02 (पन्द्रहवे अपर सत्र न्यायाधीश) के यहां लंबित भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों का चार्ज एक-दूसरे न्यायालय पर रहेगा, दोनों न्यायालय के एकसाथ अवकाश पर रहने पर भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर रहेगा तथा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये कम में जो भी अधिकारी उपस्थित होगा पर रहेगा।
4. विशेष न्यायालय व्यापम् (द्वादशम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) के अवकाश काल में व्यापम के प्रकरणों का प्रभार चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर रहेगा। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये कम में जो भी अधिकारी उपस्थित होगा पर रहेगा।
5. विशेष न्यायालय कं. 3 (विद्युत अधिनियम) एवं विशेष न्यायालय कं. 4 (विद्युत अधिनियम), ग्वालियर के प्रकरणों का चार्ज एक दूसरे पर रहेगा। दोनों पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त अधिनियम से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये पदकम में जो भी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहेगा, पर होगा।
6. विशेष न्यायालय डकैती एवं व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के प्रकरणों का प्रभार कमश द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अवकाशकाल में अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने पर प्रभार पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अवकाशकाल में अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने पर प्रभार सत्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर पर एवं सत्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अवकाशकाल में अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने पर प्रभार द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को रहेगा एवं उक्त तीनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त अधिनियमों

से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर को छोड़कर) द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

7. मुख्यालय ग्वालियर पर (POCSO) पॉक्सो एक्ट से संबंधित दो विशेष न्यायालय त्रयोदशम् अति. सत्र न्यायालय एवं एकादशम् अति. सत्र न्यायालय कार्यरत हैं, अवकाशकाल में प्रभार एक—दूसरे पर रहेगा तथा दोनों न्यायालय के एक साथ अवकाश पर होने पर प्रभार विशेष न्यायालय (OAW) षष्ठम् अति. सत्र न्यायालय पर रहेगा। विशेष न्यायालय (OAW) के अवकाश पर रहने पर प्रभार पॉक्सो एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय त्रयोदशम् अति. सत्र न्यायालय पर रहेगा। त्रयोदशम् अति. सत्र न्यायालय के अवकाश पर रहने पर प्रभार एकादशम् अति. सत्र न्यायालय पर रहेगा। तीनों न्यायालयों के एक साथ अवकाश पर रहने पर प्रभार मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अति. सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर को छोड़कर) पर रहेगा।
8. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय के अतिआवश्यक प्रकृति का कार्य मुख्यालय ग्वालियर पर उपस्थित प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा और उनकी अनुपस्थिति की दशा में कमानुसार प्रभार वाले जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा।
9. किसी भी प्रभार वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उनका प्रभार कमानुसार आगामी प्रभारी पीठासीन अधिकारी की ओर बढ़ता जायेगा।
10. सर्वाधिक पुराने सूचीबद्ध प्रकरण एवं 05 वर्ष या उससे अधिक पुराने साम्पातिक प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने पर संबंधित इंचार्ज न्यायाधीश से हस्तप्रक्षर कराये जावे।



(प्रौद्योगिकी विभाग)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

९०६९

८

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-११-१ / कार्यविभाग / सां.अनु. / १९

ग्वालियर, दिनांक : ०४ - ०५ - २३

१. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
२. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर।
३. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर।
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
४. समस्त न्यायाधीशगण, ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
५. जे.एस.ए., जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर वर्ष 2023 का नवीन कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक १२४ / एक-११-१ / कार्यविभाग / सां.अनु. / १९ दिनांक ४-९-२०२३ एवं कार्य प्रभार विविध आदेश क्रमांक १२३ / एक-११-१ / कार्यविभाग / सां.अनु. / १९ दिनांक ६-९-२०२३ की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण ग्वालियर/डबरा/भितरवार के ई-मेल पते पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
६. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउण्टर, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
७. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
८. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार।
९. शासकीय अभिभाषक, जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्वालियर।
१०. उपसंचालक, अभियोजन शाखा, जिला न्यायालय, ग्वालियर।
११. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, ग्वालियर।
१२. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, ग्वालियर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१३. प्रस्तुतकार/स्टेनो, जिला न्यायालय, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
१४. ऑफिस मौहर्रि, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्यविभाजन पत्रक एवं कार्य प्रभार के संबंध में अधिवक्तागण/पक्षकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें जानकारी तत्काल उपलब्ध करावें।

१०४(०५)२०२३
(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर